मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२१

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, २०२१

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ७ का स्थापन.

४. धारा ९क का अंत:स्थापन.

५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२१

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २० सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ञ-क) ''प्रति कुलपति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;''.

धारा ७ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

''७. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(१) कुलाधिपति
(२) कुलपति
(३) प्रति कुलपति
(४) निदेशक
(५) कुल सचिव
(६) वित्त अधिकारी और
(७) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.''.

धारा ९क का अंत:स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

प्रति कुलपति.

''९क. कुलपति किसी एक प्राध्यापक को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा, जो कुलपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

५. (१) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ८ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन १४ राज्य विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं. १४ विश्वविद्यालयों में से, ०८ राज्य विश्वविद्यालयों में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) के उपबंध के अधीन रेक्टर के लिए उपबंध है और ०३ राज्य विश्वविद्यालयों जैसे—महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट; महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में उनसे संबंधित अधिनियमों के उपबंध के अधीन प्रति-कुलपति के लिए उपबंध है. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के अधिनियमों में न तो रेक्टर के पद के लिए और न ही प्रति-कुलपति के पद के लिए उपबंध है.

२. समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपने सशक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण द्वारा अपनी गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं. इन विश्वविद्यालयों पर आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए प्रति-कुलपति का पद अधिक प्रभावी होगा.

३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम दिनांक १८ जुलाई, २०१८ के अनुरूप मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू तीनों राज्य विश्वविद्यालयों में प्रति-कुलपति के पद के लिए उपबंध प्रस्तावित किया गया है. अतएव, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २० सन् १९९१) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ८ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख १५ फरवरी, २०२१

डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन १४ राज्य विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं. १४ विश्वविद्यालयों में से, ०८ राज्य विश्वविद्यालयों में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) के उपबंध के अधीन रेक्टर के लिए उपबंध है और ०३ राज्य विश्वविद्यालयों जैसे—महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट; महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में उनसे संबंधित अधिनियमों के उपबंध के अधीन प्रति-कुलपति के लिए उपबंध है. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के अधिनियमों में न तो रेक्टर के पद के लिए और न ही प्रति-कुलपति के पद के लिए उपबंध है.

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम दिनांक १८ जुलाई, २०१८ के अनुरूप मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल; पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू तीनों राज्य विश्वविद्यालय में प्रति-कुलपति के पद के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक था.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ८ सन् २०९१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २० सन् १९९१) से उद्धहरण

* * * *

धारा-२

(क) ''विद्या परिषद'' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद अभिप्रेत है;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २१ सन् १९७३) की धारा-३ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग;

(ग) ''प्रबंध बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''समन्वय समिति'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा ३४ के अधीन स्थापित समिति;

(ङ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, संबंधित विषय का विश्वविद्यालय का विभाग;

(च) ''दूर-शिक्षा पद्धति'' से प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) दूरदर्शन-प्रेषण (टेलीकास्टिंग), दृश्य श्रव्य (ऑडियो विजुअल) साधनों, दृश्य पद्धतियों जैसे संचार के किन्हीं साधनों, पत्राचार पाठ्यक्रमों विचार गोष्ठियों, संपर्क कार्यक्रम या ऐसे साधनों में से किन्हीं दो या अधिक साधनों के संयोजन के माध्यम से शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है;

(छ) ''कर्मचारी '' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत है विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द;

(ज) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(झ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;

(ञ) ''योजना बोर्ड'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालयय का योजना बोर्ड;

(ट) ''क्षेत्रीय केन्द्र'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा केन्द्र जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में के अध्ययन केन्द्रों के कार्य में समन्वय और उनका पर्यवेक्षण करने के प्रयोजनार्थ और ऐसे अन्य कृत्यों का, जो प्रबंध बोर्ड द्वारा ऐसे केन्द्र को प्रदत्त किए जाएं, पालन करने के लिए स्थापित किया गया हो या संधारित किया जाता हो;

(ठ) ''विनियम'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम जो तत्समय प्रवृत्त हो;

(ड) ''परिनियम'' और अध्यादेश से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त क्रमशः परिनियम और अध्यादेश;

(ढ) ''विद्यार्थी'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और उसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए स्वयं का नामांकन कराया हो;

(ण) ''अध्ययन केन्द्र'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा केन्द्र जो विद्यार्थियों को ऐसी सलाह, ऐसा परामर्श या कोई ऐसी अन्य सहायता, जो उनके द्वारा अपेक्षित हो, देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया हो, चलाया जाता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;

(त) ''अध्यापक'' से अभिप्रेत है, आचार्य, उपाचार्य सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिए या विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने या उन्हें सहायता देने के लिए, अध्यादेशों द्वारा उस रूप में पदाभिहित किए जाए और उनके अंतर्गत है, क्षेत्रीय केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों के अंशकालिक तथा पूर्णकालिक अध्यापक;

(थ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय;

(द) ''इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८५ (१९८५ का सं. ५०) की धारा ३ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

(ध) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ३) के अधीन स्थापित आयोग;

(न) उन शब्दों के, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जिस रूप में वे मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा ४ में परिभाषित है.

* * * *

धारा-७ विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:—

१. कुलाधिपति;
२. कुलपति;
३. निदेशक,
४. कुलसचिव;
५. वित्त अधिकारी, और
६. ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.

* * * *

धारा-९

(१) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों के विनिश्चियों को कार्यान्वित करेगा.

(३) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है; किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हो और ऐसे मामले में अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकरण को देगा:

परंतु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह उस मामले को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कुलपति द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील प्रबंध बोर्ड को उस तारीख से तीन दिन के भीतर करें जिसको उसे उस कार्रवाई की संसूचना दी जाती है; और तदुपरि प्रबंध बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा.

(४) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा उस प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों से परे है या यह कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, संबंधित प्राधिकरण से निवेदन कर सकेगा कि वह अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन, ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर करे और यदि वह प्राधिकरण अपने विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या साठ दिन की उक्त कालावधि के भीतर उसके द्वारा उस पर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा. जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु संबंधित प्राधिकरण का विनिश्चय इस उपधारा के अधीन यथास्थिति प्राधिकरण या कुलाधिपति द्वारा ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की कालावधि के दौरान निलंबित रहेगा.

(५) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं.

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.